मंडल की 30 जून 2020 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	51	2 जून 2020 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्ठी.	मंडल की 2.6.2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्ठी की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	52	मुंबई पोर्ट परियोजनाओं का आधुनिकीकरण.	नोट किया.	स्थापत्य
3.	53	उच्च न्यायालय मा. मुख्य न्यायाधिश रिट याचिका सं.428 वर्ष 2019 देवकुमार गोपालदास अगरवाल विरुध्द मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल तथा अन्य मामले.	मुख्य विधि अधिकारी का टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दिया गया प्रस्ताव उपर्युक्त निरीक्षणों के साथ अनुमोदित किया जाता है.	विधि
4.	54	गोपनीय	विचार विमर्श अस्थागित	संपदा
5.	55	गृह व्यवस्था तथा रसोई सेवाओं का ठेका- (1) ए-वन केअरटेकर प्रा.लि.तथा (2) सर्वश्री विलार्ड ॲंडव्हायझरी प्रा.लि.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव टिप्पणी के परिच्छेद 8 में दिये गये वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के निरीक्षणों के साथ अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
6.	56	26.4.2019 से 25.4.2029 तक द्वारों पर स्थित प्रवेश/निकास पॉईंट पर संस्थापित किये गये विकिरण चिकित्सा जाँच अनुकरण हेतु व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्राक्कलन सं.एमईईडी/ टी ॲण्ड ई/आरडीई/22/2019-20.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 तथा 6 का संयुक्त निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	संयुक्त निदेशक
7.	57	मुंपोट्र अस्पताल में कोविड रोगी कक्षों हेतु संविदा आधारपर व्यावसायिक तथा अर्हताप्राप्त परिचारिकाओं (पुरुष/स्त्री) की सेवाएँ किराये पर लेना.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
8.	58	आयोजनों आदि हेतु आंतर्देशिय क्रूज टर्मिनल (डीसीटी) तथा आसपास के क्षेत्रों के उपयोग के लिए दर सूची.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव, टिप्पणी के परिच्छेद 12 में दिये गये वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के निर्देशों के साथ अनुमोदित किया जाता है.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
9.	59	वार्षिक लेखा 2019-2020 - 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के वार्षिक लेखा.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) वार्षिक लेखा 2019-20 को तथा उसे लेखा परीक्षा हेतु प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, केंद्रीय, मुंबई के साथ-साथ कर लेखा परीक्षा हेतु के.सी.जैन ॲण्ड कं. सनदी लेखापाल को अग्रेषित करने को, (ii) पेंन्शन कॉर्पस की अतिरिक्त निकासी को पेंशन निधि न्यास में पुन:भरण करने को.	वित्त
10.	60	25 फरवरी 2020 को आयोजित मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.	विचार विमर्श आस्थगित.	सामान्य प्रशासन
11.	61	नियमित कर्मचारी तथा ठेका कामगारों दोनों तथा जो आवश्यक हैं उन सभी को चिकित्सा/पॅरा चिकित्सा/गृह-व्यवस्था/ सफाई कामगार/ अस्पताल के लिए कार्यरत कर्मचारियों को अस्पताल के एमएसएससी सुरक्षा कर्मियों तथा रुग्णवाहिका चालकों को 23.3.2020 से कोविड-19 महामारी का संकट दूर हो जानेतक की लॉकडाऊन अवधि के दौरान निशुल्क आवास तथा निशुल्क भोजन.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव, टिप्पणी के परिच्छेद 8 में दिये गये वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के निरीक्षणों के साथ, अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
12.	62	के.जे. सोमैय्या मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सायन पूर्व, मुंबई का समर्पित कोविड उपचार अस्पताल (डीसीएच) के प्रबंधन हेतु मुंपोट्र लाभार्थियों के कोविड-19 पॉझिटिव्ह रोगियों को स्थानांतरित करने के लिए आपातिक उपयोग.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव, टिप्पणी के परिच्छेद 12 में दिये गये वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के निरीक्षणों के साथ, अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
13.	63	23.3.2020 से प्रभावी व कोविड महामारी के खत्म होने तक कोविड-19 आरटी पीसीआर टेस्ट हेतु निजी लेबोरेटरीज की आपातिक नाम सूची बनाना.	(i) मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक लेखा अधिकारी तथा सामग्री प्रबंधक को शामिल करके एक समिति बनाएं और लॅबोरेटरीज के साथ वार्ता करें. (ii) संग्रहण प्रभारों के बिना 14.6.2020 से रु.2200 प्रति टेस्ट का भुगतान मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे तथा वित्त टीम उसे सत्यापित करेगी.	चिकित्सा
14.	64	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल के प्रचालन संभालने (टेक-ओव्हर) को 15.6.2020 से 22.7.2020 तक स्थगन.	विचार विमर्श आस्थगित.	चिकित्सा
15.	65	23.3.2020 से प्रभावी व कोविड महामारी के खत्म होने तक जैसे भी और जब भी आवश्यकता होनेपर निजी शववाहिनी को सभी पॉझिटिव्ह/ संदेहास्पद/कोविड मृत लाये गये शरीरों को मुंपोट्र अस्पताल शवगृह से श्मशान भूमि तक ले जाने के लिए तथा कोविड रोगियों के आपातिक तथा नेमी स्थानांतरण हेतु निजी बेसिक तथा ॲडव्हांस्ड कार्डियाक ॲम्ब्युलंस सेवा को उपयोग में लाना.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को टिप्पणी के सत्यापन किये जाने तथा टिप्पणी के परिच्छेद 12 में दिये गये वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के निरीक्षणों की शर्तपर अनुमोदन दिया जाता है.	चिकित्सा
16.	66	1.4.2020 से 31.7.2020 तक तीन महीनों के लिए या 22.7.2020 को रियायतकर्ता द्वारा टेक ओवर करने तक जो भी प्रथम हो मुंपोट्र अस्पताल में गृह व्यवस्था तथा सुविधा प्रबंधन सेवाओं को बाहरी स्त्रोतों को सौंपने हेतु निविदा संख्या सीएसओ 07/2016.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को टिप्पणी के परिच्छेद 12 में दिये गये वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के निरीक्षणों के पालन करने की शर्तपर अनुमोदन दिया जाता है.	चिकित्सा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
17	67	मुंबई बंदरगाह में पडे हुए जहाज के मलबों को हटाना. - डूबे पोत की बिक्री हेतु ई-नीलामी संख्या 3738 (एमएसटीसी).	(i) पहले से ही निकाले गये पूर्व 4 मलबों के अतिरिक्त 5 और मलबों को हटाने हेतु विद्यमान ठेकेदार को आगे दो वर्षों की विस्तारित अवधि प्रदान की जाए. (ii) कार्य-निष्पादन की गति को देखते हुए विद्यमान ठेकेदार को प्रोत्साहन के रुप में 2 और मलबों को निकालने की अनुमति दी जाए. (iii) शेष 11 मलबों को हटाने के लिए विज्ञापन जारी करना.	समुद्री
18.	68	अध्यक्षजी द्वारा अधिकारिक आवास के अधिभोग को जारी रखना.	1.8.2020 से 31.1.2021 तक सामान्य अनुज्ञाप्ति शुल्क पर तथा बिजली, पानी, दूरभाष, किराया तथा फर्निचर भाड़ा प्रभारों का उक्त अवधि के लिए वर्तमान दर से भुगतान करने पर अध्यक्षजी के बंगले के अधिभोग को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	कल्यान
19.	69	डॉ. (सुश्री) मालिनी व्ही. शंकर द्वारा रिहायशी आवास का प्रतिधारण.	दिनांक 24.9.2019 और दिनांक 27.2.2019 की न्यास सं. 139 तथा 238 द्वारा लिये गये निर्णय की समीक्षा करने तथा 1.1.2019 से 31.12.2019 तक सामान्य अनुज्ञाप्ति शुल्क लगाने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	कल्यान
20.	70	रेवस पोर्ट का मुंबई पोर्ट तथा जनेपन्यास के सॅटेलाईट पोर्ट के रुप में विकास. - एसबीआई कॅप्स द्वारा रेवस पोर्ट लि. के परिसंपत्ति मुल्यांकन अध्ययन को हाथ में लेने के लिए परामर्शदाता सेवाएँ. -रिपोर्ट को स्वीकार करने हेतु प्रस्ताव.	विचार-विमर्श आस्थगित.	स्थापत्य
21.	71	कल्याण केंद्र, नॉलेज सेंटर तथा कोविड केअर आश्रम स्थित कोविड-19 संदेहास्पद/पॉझिटिव्ह रोगियों की क्वारंटीन सुविधा हेतु एक इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन तथा एक हेल्पर की तैनाति.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
22.	72	प्रभारों में छूट/माफी.	विचार-विमर्श अस्थागित.	यातायात
23.	73	स्मार्टकेम टेक्नॉलॉजिज लि. से अनुरोध - इंदिरा गोदी में अमोनियम सल्फेट की सम्हलाई तथा उसका भंडारण.	टिप्पणी के परिच्छेद 21 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
24.	74	मुंबई बंदरगाह में हाजी बंदर, शिवडी तथा एलिफंटा द्वीप के बीच रोप वे सेवा.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
25.	75	(i) महापत्तनों तथा डॉक लेबर बोर्ड में 1.1.2017 पूर्व सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के पेन्शन तथा अन्य पेन्शन संबंधित लाभों का समेकन तथा (ii) 1.1.2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं ऐसे महापत्तनों/ डॉक लेबर बोर्ड के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के पेन्शन तथा अन्य पेन्शन संबंधित लाभों में सुधार.	विचार-विमर्श अस्थागित.	वित्त
26.	76	इन-हाऊस फार्मासी अर्थात वेलनेस फॉर एव्हर मेडिकेअर प्रा.लि. के परिसर हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क के निर्धारण के लिए विचार विमर्श.	टिप्पणी के परिच्छेद 9, 11 तथा 12 का संपदा प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	संपदा
27.	77	अपतटीय गतिविधियों अर्थात 14 व्हिक्टोरिया गोदी तथा 10 इंदिरा गोदी मुंबई पोर्ट स्थित चिन्हित क्षेत्र के अंदर सुविधाओं के संस्थापन पोतभार सम्हलाई उपकरण के साथ या उसके बिना भंडारण/पोतभार प्रचालन के लिए खुली/ छतदार जगह के आबंटन के लिए निविदा. -निविदा सं.टीएम/आयडी/03/2019.	विचार-विमर्श अस्थागित.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
28	78	आर.आर. झोन 11/88A में आनेवाले भूमियों के भूखण्डो के संबंध में श्री.ए.व्ही. पेंडसे द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के आधारपर परमाणु उर्जा विभाग, भारत सरकार (टाटा स्मारक अस्पताल, एक अनुदानित संस्था) को लीव्ह ॲण्ड लाइसेंस आधारपर आबंटित की गयी राजस नगर स्थित ए, बी तथा सी ईमारते- चतुर्थ श्रेणी प्रकार के आवासों तथा कॉटन ग्रीन (पूर्व) स्थित आऊटहाउस के दरमानों के नियतन हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार-विमर्श.	(I) निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) परिच्छेद 9 तथा 10 का संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव का, (ii) उक्त इमारतों को एक सीएसआर गतिविधि के रुपमें रु.1 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के नाममात्र पट्टा किराये पर पट्टा आधारपर आगे की 10 वर्ष की अवधि के लिए टाटा स्मारक अस्पताल (एक अनुदानित संस्था) को आबंटन करने को, (iii) रु.27.60 करोड़ की अपफ्रंट फी का सीएसआर के तहत विभाजित करके (10 वर्ष की अवधि के लिए) या वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा जैसा तय किया जायेगा वैसा भुगतान करने को. (II) टाटा स्मारक अस्पताल (एक अनुदानित संस्था) भूमि/ इमारत की आवश्यक मरम्मत, अनुरक्षण उनके खुदके पैसों से करेगी तथा आनेवाले सभी खर्चों को भी करेगी जैसे कि बृहन्मुबई मनपा कर, जीएसटी तथा यथा लागू अन्य प्रभार. (III) पोत परिवहन मंत्रालय को सूचित करना होगा.	संपदा
29.	79	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में विभिन्न गोदामों के विद्युत संस्थापन का नवीनीकरण.	विचार-विमर्श अस्थागित.	यांत्रिकी
30.	80	इंदिरा कन्टेनर टर्मिनल प्रा.लि. विरुध्द मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल के बीच मध्यस्था के मामले में.	विचार-विमर्श अस्थागित.	विधि
31.	81	कोविड-19 लॉकडाऊन के कारण सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों द्वारा रियायती दर पर आवास को प्रतिधारण करने हेतु अनुरोध.	विचार-विमर्श अस्थागित.	कल्यान

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
32.	82	सभी पार्किंग प्रभारों को माफ करने हेतु अनुरोध.	विचार-विमर्श अस्थागित.	यातायात
33.	83	27 मार्च 2020 को आयोजित मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयोंपर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.	विचार-विमर्श अस्थागित.	सामान्य प्रशासन
34.	84	अंतर्देशीय यात्रा पर तय किये गये लक्ष्यों की जल पर्यटन यात्रा को यशस्वी पूर्ण करने के प्रति रियायत की वापसी- आंग्रिया तथा कर्णिका.	विचार-विमर्श अस्थागित.	यातायात
35.	85	निविदा संख्या- 47/2020. - मुंबई पोर्ट के पहुँच जलमार्गो, घुमावदार मोडों, पोत घाटों की बाहरी बाजूओं, इंदिरा गोदी बेसिन, बंदर क्षेत्रों तथा लंगरगाहों में वर्ष 2020-21 से तीन वर्ष के लिए अनुरक्षण निकर्षण.	विचार-विमर्श अस्थागित.	स्थापत्य
36.	86	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा लंगरगाह प्रभारों में वृद्धि.	विचार-विमर्श अस्थागित.	समुद्री
37.	87	निविदा संख्या एमईईडी- 8/2019. - मुंबई बंदरगाह में जहाज यातायात प्रबंधन प्रणाली में संवर्धन बदलाव.	विचार-विमर्श अस्थागित.	संयुक्त निदेशक

C6/Pro 30 June 2020/actiontaken20200630(Hindi)